न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या – 30 / 2016 जिला दौसा

1. बद्री पुत्र पन्ना , जाति मीना, निवासी ग्राम बाढ देहलाल, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. शंकर पुत्र देव्या (दौराने अपील फौत)
1/1 पाना देवी पत्नि स्वर्गीय शंकर, जाति मीना, निवासी बाढ देहलाल, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।
1/2 राहुल मीना पुत्र स्वर्गीय शंकर उम्र 7 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता पाना देवी पत्नि शंकर, जाति मीना, निवासी बाढ देहलाल, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।
1/3 प्रिंयका पुत्री स्वर्गीय शंकर उम्र 12 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता पाना देवी पत्नि शंकर, जाति मीना, निवासी बाढ देहलाल, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।
1/4 सीमा पुत्री स्वर्गीय शंकर उम्र 10 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता पाना देवी पत्नि शंकर, जाति मीना, निवासी बाढ देहलाल, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।
2. नाथू पुत्र देव्या, जाति मीना, निवासी बाढ देहलाल, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।
3. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार रामगढ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 9.2.2016

उपस्थित
1. वकील अपीलान्ट श्री भगवान सहाय शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री मुकेश शर्मा

निर्णय

दिनांक – 30.10.2017

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार रामगढ पचवारा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 9.2.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम ग्रम बाढ देहलाल एवं ग्रम अमराबाद, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा स्थित आराजी की खातेदारी पन्ना पुत्र ईशरा के नाम दर्ज थी । खातेदार पन्ना पुत्र ईशरा के फौत होने पर विरासत के नामांतरकरण संख्या– 13, 102, 103, 104, 105 दिनांक 18.9.1980 को ग्रम पंचायत अमराबाद द्वारा अपीलान्ट बद्री एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पिता देव्या पुत्रान पन्ना के नाम स्वीकार किये गये जिनसे व्यथित होकर बद्री पुत्र पन्ना द्वारा पृथक पृथक 5 अपीलें न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष प्रस्तुत की जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.6.2013 द्वारा स्वीकार की जाकर

प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त कर तहसीलदार लालसोट को निर्देशित किया गया कि पन्ना पुत्र ईशरा मीणा की सम्पूर्ण विरासत के नामांतरकरण बद्री पुत्र पन्ना के नाम तस्दीक किये जावे । उप खण्ड अधिकारी लालसोट के आदेश दिनांक 10.6.2013 के खिलाफ देव्या पुत्र पन्ना के पुत्रान रेस्पोंडेन्ट शंकर व नाथू द्वारा पॉच अपीलें न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 9.10.2013 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उप खण्ड अधिकारी लालसोट के निर्णय दिनांक 10.6.2013 निरस्त किये गये तथा प्रकरण उन्हें मृतक खातेदार देव्या क्या चन्द्रा के गोद गया था तथा चन्द्रा की विरासत का नामांतरकरण अकेले देव्या के नाम ही खोला गया था ? क्या पक्षकारान देव्या व बद्री दोनों ने मिलकर मृतक खातेदार चन्द्रा की भूमि का बेचान किया था ? के संबंध में गोर कर पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किये गये । अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 9.10.2013 के खिलाफ अपीलान्ट बद्री पुत्र पन्ना द्वारा निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की गई, जो निर्णय दिनांक 8.1.2014 द्वारा ग्राह्यता के स्तर पर ही आंशिक रूप से स्वीकार कर अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 9.10.2013 में आंशिक संशोधन करते हुए इस न्यायालय द्वारा दिये गए बिन्दुओं की जॉच के परिपेक्ष्य में नामांतरकरण के प्रकरण के निस्तारण हेतु उप खण्ड अधिकारी, लालसोट के स्थान पर तहसीलदार लालसोट को पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया । इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 9.10.2013 एवं राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 8.1.2014 की अनुपालना में बद्री पुत्र पन्ना बनाम शंकर पुत्र देव्या उनवानी प्रकरण में निर्णय दिनांक 9.2.2016 इस प्रकार पारित किया है कि " हमने सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा प्रार्थी/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहसों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । दोनों ही पक्षकार एक ही परिवारिक पृष्ठभूमि व एक ही परिवार के अनुसूचित जन जाति के सदस्य है । यहॉ मुख्य प्रश्न चन्द्रा की विरासत से जुडा हुआ है कि क्या मृतक देव्या, चन्द्रा के गोद गया था । इस बाबत चन्द्रा की विरासत देव्या के नाम खुली है , लेकिन प्रार्थी ने इसके अतिरिक्त दत्तक ग्रहण बाबत् कोई सबूत व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया एवं ना ही कोई पंजीकृत दस्तावेज पेश किया जिससे यह सिद्ध हो कि देव्या विधिवत रूप से चन्द्रा के गोद गया , ना ही चन्द्रा की विरासत के नामांतरकरण के देव्या के गोद जाने संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध है । चन्द्रा के नाऔलाद फौत होने से पन्ना ने अपने पुत्र देव्या के नाम चन्द्रा की विरासत का नामांतरकरण खुलवा दिया, लेकिन गोद जाने संबंधी कोई रीति रिवाजिक, सामाजिक व लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । मात्र संयुक्त परिवार में विरासत का नामांतरकरण खुल जाने से देव्या को चन्द्रा के विधिवत गोद जाना नहीं माना जा सकता । इसी प्रकार जब पन्ना फौत हो गया तो नामांतरकरण संख्या 13 ग्रम बाढ देहलाल के साथ संलग्न् प्रार्थना पत्र जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि "मेरे पिताजी श्री पन्ना लाल पुत्र ईशरा मीना अमराबाद फौत हो गया है इनको मरे हुए 6 महिने हो गये हैं अतः इनके खाते की जमीन का नामांतरकरण हम देवीलाल व बद्री लाल बेटे हैं अतः करने की कृपा करें " प्रार्थी के रूप में बद्री लाल का अंगुठा निशानी है अतः स्वयं बद्री ने नामांतरकरण दोनों भाईयों के नाम संयुक्त रूप से खोलने का प्रार्थना पत्र दिया है जिससे पन्ना की विरासत उसके दोनों लडके बद्री एवं देव्या के नाम ग्रम पंचायत द्वारा दिनांक 18.9.80 को स्वीकार की गई उन नामांतरकरणों की जिल्द पर बद्री के अंगुठा निशानी अंकित है जो इस बात का ध्योतक है कि पन्ना की विरासत बद्री एवं देव्या दोनों भाईयों के नाम संयुक्त रूप से आ रही है बद्री को इस बात की जानकारी थी साथ

ही दोनों भाई बद्री एवं देव्या ने हस्तगत नामांतरकरणों से आई हुई भूमि खसरा नम्बर 117 एवं 122, 162, 191 का भी बेचान किया है अतः बद्री को इस बात की सम्पूर्ण जानकारी थी कि पन्ना की विरासत संयुक्त रूप से दोनों भाईयों के नाम बराबर बराबर नामांतरकरण तस्दीक किये गये हैं ।''

''हमने पटवारी हल्का से भूमि की मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त की जिसमें भी दोनों पक्षकारान पन्ना की विरासत की भूमि पर 1/2 के हिसाब से काबिज होकर काश्त कर रहे हें तथा दोनों ने ही अपने अपने हिस्से पर मकान निर्माण कर रखे हैं तथा दोनों के अपने अपने हिस्से के सिंचाई के साधन है । साथ ही बद्री ने 30 वर्ष पश्चात् पन्ना की विरासत पर ऐतराज किया है जबकि इतने समय तक दोनों पक्ष शांति पूर्वक जीवन यापन कर रहे थे । अतः पन्ना की विरासत के समस्त नामांतरकरणों में बद्री की स्पष्ट सहमति थी तथा किसी प्रकार का कोई गोद पत्र विधिवत रजिस्टर्ड नहीं हुआ है एवं ना ही गोद जाने के रीतिरिवाज व सामाजिक साक्ष्य उपलब्ध है । अतः देव्या का चन्द्रा के गोद जाना सिद्ध नहीं होता है ।''

''इस प्रकार हमारे मत में नामांतरकरण संख्या 13 वाके ग्रम बाढ देहलाल एवं नामांतरकरण संख्या 102,103,104 एवं 105 वाके ग्रम अमराबाद जो दिनांक 18.9.1980 को ग्रम पंचायत अमराबाद द्वारा तस्दीक किये गये हैं में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है । अतः ग्रम पंचायत अमराबाद द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 13 वाके ग्रम बाढ देहलाल एवं 102, 103, 104, 105 वाके ग्रम अमराबाद सही एवं न्यायपूर्ण है जिसमें किसी प्रकार का फेरबदल करना उचित नहीं , को यथावत रखे जाते हें ।''

तहसीलदार रामगढ पचवारा के उक्त निर्णय दिनांक 9.2.2016 के खिलाफ अपीलान्ट बद्री पुत्र पन्ना द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त कर नामांतरकरण अकेले अपीलान्ट क नाम तस्दीक करने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार पन्ना था जिसके दो लडके बद्री व देव्या थे जिनमें से देव्या अपने चाचा चन्द्रा के गोद चला गया था एवं चन्द्रा की विरासत उसके नाम आई है । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश प्रकरण के वास्तविक तथ्यों को समझे बिना पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय में निर्धारित बिन्दुओं पर तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित नहीं कर ग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक नामांतरकरणों को बहाल रखने में क्षेत्राधिकार का गम्भीर दुरूपयोग किया है । तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट अपीलार्थी की अनुपस्थिति में एकपक्षिय तैयार कराई गई थी ओर इसको आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो मनमाना होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि राजस्व मण्डल द्वारा पॉचों निगरानी याचिकाओं पर निर्णय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित हुई थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पॉचों नामांतरकरण पर एक ही पत्रावली कायम कर एक ही निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि तहसीलदार को निर्धारित बिन्दुओं पर ही निर्णय करना चाहिये था, लेकिन उनके द्वारा मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा पन्ना की विरासत के नामांतरकरण अकेले अपीलान्ट के नाम खोलने के आदेश प्रदान किये जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार पन्ना के फौत होने पर ग्रम पंचायतों द्वारा विरासत के नामांतरकरण पन्ना के पुत्रान देव्या व बद्री के नाम तस्दीक किये गये थे , विधिसम्यक हैं । अपीलान्ट ब्रदी पुत्र पन्ना देव्या को चन्द्रा के गोद जाना बताते हुये पन्ना की सम्पूर्ण भूमि हथियाना चाहता है । अपीलान्ट द्वारा देव्या को चन्द्रा के गोद जाने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये । देव्या को चन्द्रा द्वारा गोद लेने का न तो कोई गोदनामा तहरीर किया और न ही ऐसा कोई दस्तावेज रेकार्ड पर है । गोद के संबंध में गोद देना ओर गोद लेना स्वीकार करना आवश्यक है , लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य रेकार्ड पर प्रस्तुत नहीं किया गया । उनका कहना था कि पन्ना की विरासत के नामांतरकरण देव्या व ब्रदी के नाम दिनांक 18.9.1980 को ग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक कर दिये थे और तभी से वे अपने अपने हिस्से पर मकानात बनाकर काबिज काश्त है । रेस्पोंडेन्ट्स को हैरान व परेशान करने तथा पन्ना की भूमि अकेले ही हथियाने की गरज से अपीलान्ट बद्री द्वारा 18.9.80 को तस्दीक नामांतरकरणों के 30 वर्ष पश्चात् चुनौती देते हुये अपीले उप खण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की थी जो निराशाजनक रूप से विलम्बित थी तथा विलम्ब का कारण भी कपोल कल्पित था । पिता की विरासत के नामांतरकरणों का ज्ञान पुत्रों को समय पर नहीं हो, यह मानने योग्य नहीं है । उनका कहना था कि बद्री व देव्या दोनों ने भूमि का बेचान किया है । उनका कहना था कि बद्री बनाम नाथू उनवानी वाद बाबत आदेशात्मक निषेधाज्ञा एवं स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय सिविल जज लालसोट के समक्ष अपीलान्ट बद्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है । अन्त में कथन किया कि तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन आदेश से पन्ना की विरासत के बद्री व देव्या के नाम ग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक नामांतरकरणों को सही एवं न्यायपूर्ण मानते हुये बहाल रखे हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । चित्र उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार पन्ना की विरासत का है । विवादित भूमि के खातेदार पन्ना की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण बद्री व देव्या पुत्रान पन्ना के नाम स्वीकार किये गये थे । प्रकरण राजस्व मण्डल से तहसीलदार रामगढ पचवारा को प्रतिप्रेषित होने पर तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा पक्षकारों को सुना जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.2.2016 पारित कर नामांतरकरण संख्या 13 वाके ग्रम बाढ देहलाल एवं नामांतरकरण संख्या 102, 103, 104 एवं 105 वाके ग्रम अमराबाद जो ग्रम पंचायत अमराबाद द्वारा दिनांक 18.9.80 को तस्दीक किये गये थे, को सही एवं न्यायपूर्ण मानते हुये उनमें किसी प्रकार का फेरबदल करना उचित नहीं होने से यथावत रखे हैं । तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश में पटवारी हल्का से भूमि की मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त करना जिसमें दोनों पक्षकार पन्ना की विरासत की भूमि पर 1/2 के हिसाब से काबिज होकर काश्त करना , दोनों ही अपने अपने हिस्से पर मकान निर्माण करना, दोनों के अपने अपने हिस्से के सिंचाई के साधन होना , साथ ही बद्री ने 30 वर्ष पश्चात् पन्ना की विरासत पर ऐतराज करना जबकि इतने समय तक दोनों पक्ष शांतिपूर्वक जीवन यापन करना अंकित करते हुये पन्ना की विरासत के समस्त नामांतरकरणों में बद्री की स्पष्ट सहमति होना तथा किसी प्रकार का कोई गोद पत्र विधिवत रजिस्टर्ड नहीं होना एवं ना ही गोद जाने की रीति रिवाज व सामाजिक साक्ष्य उपलब्ध होने से देव्या का चन्द्रा के गोद जाना सिद्ध नहीं होना अंकित किया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्रश्नगत नामांतरकरण मृतक खातेदार पन्ना की विरासत के उसके दोनों पुत्रों बद्री व देव्या के नाम तस्दीक हुये हैं । अपीलान्ट बद्री पुत्र पन्ना द्वारा देव्या पुत्र पन्ना को चन्द्रा के गोद जाना बताते हुये पन्ना की सम्पूर्ण भूमि अपने नाम कराना चाहता है । रेकार्ड पर कोई गोद पत्र उपलब्ध नहीं है । वैसे भी दत्तक का तथ्य विधि एवं तथ्य का जटिल प्रश्न है जो नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता । यदि कोई व्यक्ति दत्तक के आधार पर अधिकार चाहता है तो उसे सक्षम न्यायालय में चाहाजोही करके अपने अधिकार तय कराने चाहिये । नामांतरकरण की कार्यवाही भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रक्रिया है जिसमें दत्तक के अधिकारों का निर्धारण नहीं हो सकता । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश से पन्ना की विरासत बद्री व देव्या पुत्रान पन्ना के नाम तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरणों में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं मानते हुये उन्हें यथावत रखा है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं । अतः अपील अपीलान्ट मे कोई सार नही होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार रामगढ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 9.2.2016 यथावत रखा जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर